

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 369]

भोपाल, गुरुवार, दिनांक 29 अगस्त 2019—भाद्र 7, शक 1941

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग

“निर्वाचन भवन”

58, अरेरा हिल्स, भोपाल—462011

आदेश

भोपाल, दिनांक 29 अगस्त 2019

क्र. एफ-57-01-2014-तीन-1408.—मध्यप्रदेश नगरपालिका निर्वाचन नियम, 1994 के नियम 11-क द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में, आयोग की अधिसूचना दिनांक 03 जुलाई, 2014 जिसका प्रकाशन “मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) क्रमांक-265 में दिनांक 03 जुलाई, 2014 को हुआ है, के भाग-1 महापौर/अध्यक्ष के लिए विहित मुक्त निर्वाचन प्रतीक की सूची में क्रमांक-16 में अंकित प्रतीक “टेबल लैप” क्रमांक-35 में अंकित प्रतीक “मोमबत्तियां” एवं भाग-2 पार्षद के लिए विहित मुक्त निर्वाचन प्रतीक की सूची में क्रमांक-4 में अंकित प्रतीक “पतंग” एवं क्रमांक-07 में अंकित प्रतीक “छत का पंखा” को एतद्वारा विलोपित किया जाता है.

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार,

हस्ता./-

(अरुण परमार)

उपसचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.